क्रम स0–

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, काशीपुर (ऊ0सिं0 नगर)

निविदा संख्या 685/मैस संचालन/2025–26 दिनांक 27 जून 2025

:: टेन्डर ::

संस्था के महिला एवं पुरूष छात्रावास में मैस संचालन हेतु मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। इस विषयक अल्पकालीन निविदा सूचना दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला के संस्करण में दिनांक 28 जून 2025 को प्रकाशित की गयी है।

निविदादाता निविदा भरने से पूर्व सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर ले। बिलम्ब से प्राप्त, अपूर्ण एवं शर्तो के अनुरूप अन्य अभिलेख जमा न होने पर निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी। प्रधानाचार्य को शर्तो में परिवर्तन करने तथा किसी अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। जो फर्मों को सर्वमान्य होगा।

निविदादाताओं हेतु आवश्यक शर्ते एवं निर्देश–

1– Technical Bid & Financial Bid को अलग–अलग लिफाफे में सील करके एवं लिफाफे में स्पष्ट शब्दों में Bid का नाम लिख कर दोनो लिफाफों को एक लिफाफे में सील करके जमा करना होगा। फर्म का जी0एस0टी0 नम्बर आवश्यक है।

2– प्रत्येक लिफाफे पर निविदा की अन्तिम तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा।

3– लिफाफे पर निविदादाता फर्म का पूर्ण एवं स्पष्ट पता अंकित करना अनिवार्य होगा।

4– निविदा प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, काशीपुर (ऊ0सिं0 नगर) के पते पर दिनांक 30 जून 2025 से दिनांक 15 जुलाई 2025 के मध्य किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्वयं/प्रतिनिधि के माध्यम से जमा की जा सकती है।

5– निविदा को जमा करने की अन्तिम तिथि – दिनांक 15 जुलाई 2025 को सांय 04:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

6– निविदायें दिनांक 23 जुलाई 2025 को अपरान्ह 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष राजपत्रित अधिकारियों की गठित समिति के द्वारा खोले जायेंगें। निविदादाता स्वयं अथवा निविदादाता द्वारा नामित प्रतिनिधि निविदा खोलते समय चाहें तो उपस्थित रह सकते है।

7– निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 10000.00 (रूपये दस हजार मात्र) का एफ0डी0आर0 अथवा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो कि प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, काशीपुर (ऊ0सिं नगर) के पक्ष में देय होगा जमा करना अनिवार्य होगा।

8– निविदा के साथ परिशिष्ट 2 के अनुरूप समस्त अभिलेखों का संलग्न होना अनिवार्य है। समस्त अभिलेख संलग्न न होने की दशा में Technical Bid की अर्हता पूर्ण न होने के कारण Financial Bid नही खोली जायेगी।

9– प्रधानाचार्य अथवा उनके द्वारा गठित समिति निविदा की शर्तों में बिना किसी पूर्व सूचना के संशोधन कर सकते है। संशोधन संस्था की बेवसाइट www.gpkashipur.in पर उपलब्ध होगा। अतः निविदादाता का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह निविदा जमा करने से पूर्व इन संशोधनों का संज्ञान लेते हुए इसके अनुसार ही निविदा जमा करें।

10– यह निविदा प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है।

11– एक ही दिन के दोपहर व रात के खाने में सब्जी अथवा दाल की पुनरावृत्ति नही की जा सकती है।

12– प्रारंभ में मैस संचालन हेतु एक वर्ष का अनुबंध किया जाना प्रस्तावित है जो आपसी समझौते से तीन वर्ष तक के लिए विस्तारित किया जा सकता है। परन्तु निविदादाता के संस्था के बाहर अथवा अन्दर किसी ऐसे कृत्य में लिप्त पाये जाने पर जिससे संस्था की सामान्य प्रतिष्ठा प्रभावित होती हो, अनुबन्ध तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा।

13– संस्था प्रशासन 01 माह के नोटिस पर अनुबन्ध को समाप्त कर सकता है।

14–पुलिस रिकार्ड में किसी अभियोग में पंजीकृत अथवा दण्डित कर्मचारी रखा जाना अनुमन्य नही है।

15–मैस में अग्नि अथवा अन्य सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

16–जिस निविदाकार को ठेका दिया गया है, वह अनुबंध प्रदान करने की तिथि से रू0 100/– संलग्न प्रपत्र में अपने स्वयं के खर्च पर अनुबन्ध निष्पादित करेगा।

17–निविदादाता को निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ने के प्रमाण में सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर और मुहर के साथ विधिवत भरा हुआ निविदा दस्तावेज भी जमा करना चाहिए।

18–जिस निविदादाता की बोली स्वीकार की जाती है, उन्हें संस्थान द्वारा अनुबंध प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया जाएगा। स्वीकृत प्रस्ताव के नियम और शर्तें अनुबंध में शामिल की जाएंगी।

19–निविदादाता के पास डबल बर्नर स्टोव, गैस सिलेंडर, वेजिटेबल कटर, ग्लास, ब्रेकफास्ट प्लेट, लंच प्लेट, कड़ाही, फ्राइंग, चम्मच आदि जैसे सभी रसोई उपकरण होने चाहिए। छात्र–छात्राओं के खाने के बर्तनों की व्यवस्था एवं बर्तनों को धुलवाने की व्यवस्था निविदादाता द्वारा की जायेगी।

20–सभी विवाद केवल काशीपुर क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

21– जिन फर्मों की निविदायें स्वीकार नही की जायेगी, उन्हें उनके द्वारा जमा की गयी उक्त धनराशि पंजीकृत डाक द्वारा वापस की जायेगी।

22– निविदादाता को मैस चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा उसका यह अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न होना अनिवार्य होगा।

23– छात्रावास समिति के सदस्य/छात्रावास की छात्र समिति द्वारा समय समय पर मैस के खाने की कच्ची व पकी सामग्री का निरीक्षण किया जायेगा। स्वीकृत मैन्यू के अनुसार न पाये जाने पर अथवा मैस में भोजन की गुणवत्ता मैन्यू के अनुसार न होने पर मैस समिति के सदस्यों द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर उस दिन के भोजन की डाइट का भुगतान ठेकेदार को नहीं दिया जायेगा, तथा सुधार न होने की स्थिति में मैस तुरन्त बन्द कर दी जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

24– निविदादाता द्वारा मैस प्रारम्भ करने की तिथि से ग्रीष्मकालीन सेमेस्टर की परीक्षा के अन्तिम दिन तक मैस निरन्तर चलानी होगी। मैस संचालन एवं बन्द करने हेतु प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।

25– निविदादाता एवं मैस के अन्य कर्मचारियों का छात्रों के प्रति व्यवहार नरम होना चाहिए। मैस में साफ–सफाई व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मैस संचालक की होगी।

26– मैस का संचालन निर्धारित कक्ष में किया जायेगा। छात्र–छात्राओं हेतु भोजन डोंगे में रखकर टेबिल में रखा जायेगा। छात्र–छात्राओं द्वारा अपना भोजन स्वयं थाली में लिया जायेगा। निविदादाता द्वारा किसी भी छात्र–छात्रा को लाईन में लगाकर भोजन नहीं दिया जायेगा। छात्र–छात्राओं को निर्धारित स्थान में ही भोजन खाने की अनुमति होगी। छात्रों को कमरे में भोजन खाने की अनुमति नही है।

27– मैस में खाने का समय छात्रावास अधीक्षक द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

28– छात्रावास अधीक्षक/निविदादाता एवं छात्र–छात्राओं की सहमति से खाने के मैन्यू में परिवर्तन किया जा सकता है।

29– निविदादाता को छात्र–छात्राओं को निर्धारित समय पर भोजन देना होगा। खाना समय पर न देने पर प्रति मीटिंग 50=00 रूपये (रू0 पचास मात्र) का जुर्माना देय होगा।

30– मैस में लगे बिजली के उपकरण से छेड–छाड करने की अनुमति नही होगी। मैस में प्राप्त किये गये सामान में किसी भी प्रकार की टूट–फूट की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। यदि निविदादाता द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो मैस तत्काल प्रभाव से बन्द कर दी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

31– मैस में खाना बनाने हेतु व्यवसायिक गैस कनेक्शन का होना अनिवार्य है। लकडी इत्यादि पर खाना बनाना मना है।

32– छात्रों के खाने के बिल के लेनदेन की जिम्मेदारी संस्था की नही होगी। संस्था के मैस में जो भी सामान उपलब्ध है वह निविदादाता को उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा मैस समाप्ति के बाद उसी स्थिति में पुनः वापस लिया जायेगा।

33– प्रधानाचार्य को किसी भी समय बिना करण बताये मैस बन्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

34– मैस चलाने से पूर्व निविदादाता आवश्यक कर्मचारियों की फोटो युक्त पहचान पत्र एवं पुलिस सत्यापन की छायाप्रति छात्रावास अधीक्षक को उपलब्ध करायेंगें।

35– मैस में निविदादाता यह सुनिश्चित करेगा कि छात्रों में झगडा न हो। किसी भी परिस्थिति में निविदादाता व अन्य कर्मचारी छात्रों से अपशब्दों को प्रयोग नहीं करेगें। शिकायत मिलने पर मैस तुरन्त बन्द करके सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी तथा पुलिस कार्यवाही की जायेगी।

36– निविदाकर्ता द्वारा संस्था में संचालित दो पुरूष एवं एक महिला छात्रावास में अलग–अलग मैस संचालन (भोजन बनाना) करना अनिवार्य होगा। महिला छात्रावास में खाना बनाने हेतु केवल महिला स्टॉफ को रखा जायेगा। महिला छात्रावास में पुरूष स्टॉफ का प्रवेश निषेद होगा।

37– छात्र–छात्राओं को गाय अथवा भैंस के दूध की ही चाय पिलायी जायेगी।

38– यदि न्यूनतम दरें आने पर भी संस्था समिति/प्रशासन को यह लगता है कि सन्दर्भित ठेकेदार/निविदादाता की छवि पूर्व में धूमिल रही हो और कटु अनुभव रहा हो उसको मैस चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। तथा उच्च दर वाले निविदाकर्ता द्वारा मैस संचालन हेतु विचार किया जायेगा।

39– निविदादाता को संस्था में कैन्टीन चलाने का कोई अधिकार नहीं होगा।

40– छात्र–छात्राओं द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 26 दिन की डाइट का भुगतान किया जायेगा। उक्त प्रतिबन्ध छात्र–छात्रा के हॉस्टल में प्रवेश के माह, शीतकालीन अवकाश अवधि, अन्तिम माह (ग्रीष्म0/शीत0 सेमे0 परीक्षा) के लिए लागू नहीं होगा।

41– मैस में प्रयुक्त होने वाली भोजन सामग्री की गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी चाहिए। यदि मैस में खाना खाने के कारण कोई छात्र बीमार होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा मैस तत्काल प्रभाव से बन्द कर दी जायेगी एवं पुलिस कार्यवाही की जायेगी।

42– छात्रावास मैस के प्रभावी संचालन और प्रबंधन के लिए निविदादाता को दो पुरूष छात्रावास एवं एक महिला छात्रावास मैस हेतु आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को रखना आवश्यक है। प्रत्येक छात्रावास मैस में कर्मचारी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

43– निविदादाता को छात्रावास मैस और स्टाफ कैंटीन के प्रवेश द्वार पर शिकायत रजिस्टर लगाना होगा जिसे छात्रावास अधीक्षक द्वारा नियमित आधार पर चेक किया जाएगा।

44– छात्रावास के मैस के कर्मचारी और रसोइया स्वस्थ और चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने चाहिए। उन्हें नियमित चिकित्सा जांच करानी होगी जिसका व्यय छात्रावास मैस प्रबन्धक को स्वयं वहन करना होगा। यदि कोई छात्रावास मैस कर्मचारी चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उसे अपने कर्तव्यों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और छात्रावास मैस प्रबन्धक को बिना किसी असफलता के उसे तुरंत बदलना होगा।

45– निविदादाताओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि छात्रावास मैस के कर्मचारी की यूनिफॉर्म को साफ होनी चाहिए।

46– भोजन निर्धारित समय पर दिया जाना चाहिए विषम परिस्थिति आने पर समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

47– बीमारी की अवधि के दौरान प्रबन्धक बीमार छात्र (छात्रों) को हल्का भोजन प्रदान करेगा और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।

48– निविदादाता द्वारा मैस में स्वयं का सामान प्रयोग करता है तो निविदादाता द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले सामान की टूट–फूट इत्यादि की जिम्मेदारी संस्था की नही होगी।

49– किसी भी मादक पेय/शराब का भंडारण/उपभोग सख्त वर्जित है। प्रबन्धक छात्रावास मैस/छात्रावास में ऐसा कोई भी पदार्थ/पेय नहीं रखेगा। छात्रावास परिसर में धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू, पान आदि का सेवन भी प्रतिबंधित है।

50– फर्म को सौंपे गए कार्य के लिए निविदाकर्ता किसी भी उप–ठेकेदार को नियुक्त नहीं करेगा। इसके अलावा, न तो अनुबंध का कोई हिस्सा और न ही कोई शेयर या ब्याज किसी भी तरीके या डिग्री में ठेकेदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति, फर्म या किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित, सौंपा या सबलेट किया जाएगा।

51– निम्नलिखित नियमों के उल्लंघन के मामले में प्रबन्धक पर जुर्माना लगाया जाएगाः

–काउंटर पर शिकायत रजिस्टर की अनुपलब्धता/शिकायत को हतोत्साहित करने पर रू0 1000/– का जुर्माना लगाया जाएगा।

–किसी भी भोजन में कीड़े पाए जाने की 3 या अधिक शिकायतों पर रू0 2000/– का जुर्माना लगाया जाएगा।

–एक दिन में 10 या इससे अधिक अशुद्ध बर्तनों की शिकायत करने पर रू0 2000/– का जुर्माना लगाया जाएगा।

–यदि छात्रावास मैस एवं स्टाफ कैंटीन के समय के भीतर किसी भी भोजन के लिए भोजन और प्रतीक्षा समय 20 मिनट से अधिक है, तो रू0 1000/– का जुर्माना लगाया जाएगा।

–छात्रावास मैस एवं स्टाफ कैंटीन समिति की अनुमति के बिना मेनू में परिवर्तन करने पर रू0 2000/– का जुर्माना लगाया जाएगा।

52– निविदादाता द्वारा अपने खर्च पर खाद्य सामग्री की बर्बादी के कारण रुकावट के मामले में ड्रेनेज लाइन का रखरखाव/मरम्मत की जायेगी।

53– सांविधिक प्रावधानों की पूर्ति – ठेकेदार प्रासंगिक अधिनियमों के सभी वैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी का भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, ठेका श्रमिक (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम और अन्य सभी श्रम और औद्योगिक अधिनियम अपने जोखिम और लागत

पर उसके द्वारा नियोजित सभी कर्मचारियों के संबंध में किसी भी अधिनियम आदि के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन/गैर–अनुपालन के लिए संस्थान के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई के लिए संस्थान को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसलिए, किसी भी अधिनियम के इन प्रावधानों में से किसी का भी अनुपालन या उल्लंघन के कारण होगा अनुबंध की तत्काल समाप्ति। ठेकेदार वैधानिक अधिनियमों के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी अभिलेखों को बनाए रखेगा और वार्डन और उसके अधिकृत प्रतिनिधि किसी भी समय ऐसे सभी अभिलेखों का निरीक्षण करने के हकदार होंगे। 18 (अठारह) वर्ष से कम आयु के किसी भी कर्मचारी को छात्रावास मैस और स्टाफ कैंटीन के काम के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।

54– कामगारों को दुर्घटना या चोट लगने की दशा में – बीमा कंपनी के दावे के माध्यम से ठेकेदार के रोजगार में किसी भी कामगार या अन्य व्यक्ति को किसी भी दुर्घटना या चोट के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप देय किसी भी क्षति या मुआवजे के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।

55– निविदाकर्ता द्वारा रखे गये कार्मिक का किसी भी परिस्थिति में प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, काशीपुर के साथ किसी भी प्रकार के रोजगार के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।

56– किसी भी प्रकार की समस्या होने पर निविदादाता छात्रावास अधीक्षक को अवगत करायेगा। छात्रावास अधीक्षक के स्तर पर समाधान न होने पर समिति के समक्ष प्रस्तुत होगा, निदान न होने की स्थिति में समस्या प्रधानाचार्य महोदय के समक्ष रखी जायेगी। निविदादाता को सीधे प्रधानाचार्य के पास जाने व समस्या रखने की अनुमति नही होगी।

57– **निविदादाता को नियमानुसार आयकर/ट्रेडकर/व्यापारकर इत्यादि समय से जमा करना होगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।**

58– निविदादाता के पास एफ0एस0एस0ए0आई0 का पंजीकरण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पंजीकरण न होने की दशा में टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।

59– निविदादाता द्वारा आधार एवं पेन कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य रूप से जमा की जायेगी।

परिशिष्ट : 1
महत्वपूर्ण तिथियां एवं सन्दर्भ

1	निविदा जारी होने की तिथि :	दिनांक 27.06.2025 दिन शुक्रवार
2	निविदा प्रपत्र मूल्य रूपये	500.00 (रूपये पांच सौ मात्र)
3	संस्था भण्डार से निविदा प्राप्त करने की तिथि :	दिनांक 30.06.2025 से दिनांक 15.07.2025 तक प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 11.00 से सांय 4.00 बजे तक
4	निविदा जमा करने का स्थान व समय :	राजकीय पॉलीटेक्निक, काशीपुर में दिनांक 30.06.2025 से दिनांक 15.07.2025 तक प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 11.00 से सांय 4.00 बजे तक
5	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 15.07.2025 की सांय 4.00 बजे तक।
6	तकनीकी बिड खोले जाने का स्थान व समय :	राजकीय पॉलीटेक्निक, काशीपुर के प्रधानाचार्य कक्ष में दिनांक 23.07.2025 की सांय 3.00 बजे तक
7	वित्तीय बिड खोलने का स्थान व समय	तकनीकी बिड में अर्ह पाई निविदा के परीक्षण के उपरांत राजकीय पॉलीटेक्निक, काशीपुर के प्रधानाचार्य कक्ष में

परिशिष्ट : 2

तकनीकी योग्यता बोली

भाग 1

निविदाकर्ता की रूपरेखा

क्र0 सं0	विवरण		टिप्पणी (हां / नहीं)
1	आवेदक / फर्म का नाम :		
2	फर्म के मालिक, भागीदारों / निदेशकों का नाम, पता और फोन नंबर के साथ :	आधार कार्ड सहित विवरण संलग्न करें।	
3	पैन कार्ड एवं पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करें,	छायाप्रति संलग्न करें।	
4	खाद्य लाइसेंस संख्या (FSSAI द्वारा जारी प्रमाण पत्र) (नवीनतम)	छायाप्रति संलग्न करें।	
5	विभिन्न प्रतिष्ठानों में खानपान सेवाओं में कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव एवं दक्षता होनी चाहिए।	संस्थागत प्रतिष्ठानों के द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
6	फर्म या संबंधित अधिकारियों के खिलाफ किसी भी अदालत में लंबित कानूनी मामले या किसी भी मुद्दे, यदि कोई हो, विशेष रूप से वैधानिक कानूनों, आदि में किसी भी उल्लंघन के संबंध में यदि कोई हो, तो विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही फर्म द्वारा यह वचन दिया जाना चाहिए कि यह पूर्व में ब्लैक लिस्टेड नहीं है।	फर्म द्वारा उक्त के सम्बन्ध में रू0 100 का शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	
7	फर्म का जी0एस0टी0 (नवीनतम)	छायाप्रति संलग्न करें।	

स्थान–

दिनांक–

(नाम, पदनाम और कंपनी की मुहर के साथ हस्ताक्षर)

भाग 2

पिछले अनुबंधों का विवरण

अनुबंध की अवधि कब से कब तक	संगठन का नाम और पता संदर्भ पत्रों के साथ	संपर्क व्यक्ति का नाम और फोन नंबर	अनुबंध का मूल्य और अन्य विवरण	टिप्पणियां

स्थान–
दिनांक–

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

भाग 3
अन्डरटेकिंग

मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/देते हैं कि यदि निविदा खोलने के बाद तकनीकी बोली/निविदा दस्तावेज में दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत पाई जाती है, तो बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

ठेकेदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर
एजेंसी/फर्म की मुहर साथ

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, काशीपुर (ऊ0सिं0 नगर)

FORM FOR FINANCIAL OFFER
(To be submitted by tenderer in duplicates)

To,

The Principal,
Govt. Polytechnic,
Kashipur (U.S. Nagar).

REF. Tender No...Date and Time of opening ....

1. I/We.. here by certified that we are established firm to M/S .... We will run the mess as per following specification/within the given period of time.
2. My rates are as follows:-

क्र0सं0	सामग्री	मात्रा	Rates per Unit प्रति नग की दर	Total unit rate including f.o.r. & taxes प्रति नग पर टैक्स सहित	टिप्पणी
1	**सुबह का नाश्ता** (मेन्यू के अनुसार)	भर पेट			
2	**लंच** (मेन्यू के अनुसार)	भर पेट			
3	**सायं की चाय** (मेन्यू के अनुसार)	150 ml			
4	**डिनर** (मेन्यू के अनुसार)	भर पेट			
	Total				

It is here by certified that I/We have understood general condition of tender & thoroughly examined specifications of items.
I/We here by offer to supply the items at the price quoted and agree to hold the offer open to acceptance for a period of one year.

Place :
Date :

Signature & Seal of the Tenderer
PAN No.
Registration No. Date

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, काशीपुर (ऊ0सिं0 नगर)

FORM FOR TECHNICAL OFFER

(To be submitted by tenderer in duplicates)

To,

The Principal,
Govt. Polytechnic,
Kashipur (U.S. Nagar).

REF. Tender No..Date and Time of opening ....

1. I/We.. here by certified that we are established mess contractor/ We will supply the items of demanded specification.

क्र0सं0	सामग्री	मात्रा	निविदादाताओं द्वारा सामान की विशिष्टतायें विवरण/प्रयुक्त सामान इत्यादि के सैम्पिल के साथ	समिति द्वारा निर्धारित सामग्री/ निविदादाताओं द्वारा आपूर्ति सामग्री की तुलना/कमैन्ट
1	**सुबह का नाश्ता** (मेन्यू के अनुसार)	भरपेट		
2	**लंच** (मेन्यू के अनुसार)	भरपेट		
3	**सायं की चाय** (मेन्यू के अनुसार)	150 ml		
4	**डिनर** (मेन्यू के अनुसार)	भरपेट		

2. It is here by certified that I/We have understood general condition of tender & thoroughly examined specifications of items.
3. I/We here by offer to supply the items at the price quoted and agree to hold the offer to acceptance for a period of one year.
4. Sample of above quoted items materials is enclosed herewith.
5. I/We enclose herewith earnest money for Rs. 10000=00 (Rs. Ten Thousand only) vide FD/ /BANK DRAFT No......................................Dated ....in favour of Principal, Govt. Polytechnic, Kashipur (U.S. Nagar) payable at Kashipur.
6. I/We have enclosed photo copy of our FSSAI registration & GST No.

Place :
Date :

Signature & Seal of the Tenderer
PAN No.
Registration No. Date

राजकीय पॉलीटेक्निक, काशीपुर (ऊ0सिं0 नगर) पुरूष एवं महिला छात्रावास मैस भोजन का विवरण सत्र 2025–26

क्र0सं0	दिन	ब्रेकफास्ट (08:00 AM TO 09:00 AM)	लंच (01:00 PM TO 02:00 PM)	सायं की चाय (05:00 PM TO 06:00 PM)	डिनर (07:00 PM TO 09:00 PM)
1	सोमवार	पराठे, आलू, अचार, चाय	रोटी, चावल, सब्जी, राजमा, सलाद	चाय	रोटी, चावल, सोयाबीन बडी की सब्जी, काली मलका, सलाद
2	मंगलवार	पराठे, आलू टमाटर की सब्जी, अचार, चाय	रोटी, चावल, सब्जी, दाल उडद, सलाद	चाय	रोटी, चावल, सब्जी, कढी पकोडा, सलाद
3	बुधवार	पूरी, आलू की सब्जी, अचार, चाय	रोटी, चावल, सब्जी, अरहर मसूर, सलाद	चाय	रोटी, चावल, सब्जी, राजमा, सलाद
4	गुरूवार	आलू के पराठे, चाय	रोटी, चावल, सब्जी, कढी पकोडा, सलाद	चाय	रोटी, चावल, सब्जी, चना उडद, सलाद
5	शुक्रवार	पराठे, काले चने, आलू, अचार, चाय	रोटी, चावल, सब्जी, काली मलका, सलाद	चाय	रोटी, चावल, छोले, सब्जी, सलाद
6	शनिवार	आलू के पराठे, अचार ,चाय	रोटी, चावल, छोले, सब्जी, सलाद	चाय	रोटी, चावल, सब्जी, अरहर मसूर, सलाद
7	रविवार	पूरी, आलू की तरी वाली सब्जी, अचार ,चाय	रोटी, चावल, सब्जी, अरहर मसूर, सलाद	चाय	रोटी, चावल, 02 अंडे/पनीर, खीर, सलाद

नोट– सब्जी मौसमानुसार परिवर्तित होगी तथा प्रतिदिन लंच एवं डिनर में भी सब्जी और दाल परिवर्तित होगी।

(बी0पी0 सिंह)
प्रधानाचार्य